2026: AHC: 32426-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या **- 1177/2026**

सिद्धार्थ मौर्य .....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य .....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: अजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता)

<u>न्यायालय संख्या **- 45**</u>

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. शुरुआत में ही, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना (जांच) पहले ही पूरी हो चुकी है और याची के विरुद्ध दिनांक 27.01.2026 को आरोप-पत्र (चार्जशीट) भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच (फोरम) के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 फरवरी, **2026**

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"